आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर० वाद सं०-39/16-17

(1) अशोक उराँव, (2) सोरजेश उराँव,(3) राजु उराँव, (4) सोमरा उराँव, सभी पिता स्व. श्याम उराँव, (5) बबलु उराँव (6) करीया उराँव, दोनो पिता कार्तिक लोहरा, सभी निवास ग्राम मधुकम, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची ... प्रथम पक्षगण।

बनाम

छोटलु सिंह उर्फ गुरवीर सिंह, पिता स्व. लखवीर सिंह, निवास ग्राम–पी.पी. कम्पाउण्ड, थाना हिन्दपीड़ी, जिला राँची .... द्वितीय पक्ष।

आदेश

प्रथम पक्षगण (1) अशोक उराँव, (2) सोरजेश उराँव, (3) राजु उराँव, (4) सोमरा उराँव, सभी पिता स्व. श्याम उराँव, (5) बबलु उराँव (6) करीया उराँव, दोनो पिता कार्तिक लोहरा, सभी निवास ग्राम मधुकम, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्षगण ने आरोप लगाया है.कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष छोटलु सिंह उर्फ गुरवीर सिंह, पिता स्व. लखवीर सिंह, निवास ग्राम–पी.पी. कम्पाउण्ड, थाना हिन्दपीड़ी, जिला राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा
बाजरा	140	08	1003	50 डी.
			1004	50 डी.
				101 डी.

28-2-23

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन आर.एस. खतियान में करीआ उराँव वल्द फागु उराँव वो चमरा उराँव वल्द रोगडे उराँव कौम उराँव शाकीन देह बहीशा बराबर के नाम से दर्ज है और आवेदक खतियानी रैयत के परपोता है। विपक्षी गलत ढंग से आदिवासी भूमि को हडप लिया है, जिसे भू–वापसी की जाय।

द्वितीय पक्ष अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उपरोक्त जमीन को आवेदकगण के पूर्वजों क्रमशः (1) करिया उराँव (2) परतो उराँव, दोनो के पिता चमरा उराँव ने लखबीर सिंह पर पूर्व में जमीन वापसी का वाद दाखिल किया था, जिसका एस.ए.आर.वाद सं.–627/1976 है, तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय ने सभी पक्षो को सुनते हुए दिनांक 14.06.1980 को आदेश पारित किये थे। छो०का० अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के तहत कार्यवाही खारिज योग्य है। विपक्षी का पुनः दावा है कि आवेदकगण के पूर्वज ने सन् 1962 ई. में भूमि का छप्परबंदी लगान निर्धारित कराया था, जिसका वाद सं.–12R27/(xi)/1962-63 है। करिया उराँव वगैरह ने निबंधित पट्टा सं.–4760 दिनांक–20.07.1962 के द्वारा प्रश्नगत भूमि श्री यदु घोष को बेच दिया एवं दखल कब्जा दे दिया। श्री यदु घोष एवं अन्य से विपक्षी के पिता सरदार लखबीर सिंह एवं हरनाम सिंह ने खरीदा था एवं सन् 1964 को प्रश्नगत भूमि के अलावा अन्य भूमि पर मेसर्स मॉर्डन कॉल्ड स्टोरेज का स्थायी निर्माण किया था। एस.ए.आर.वाद सं.–627/1976 में उभय पक्षो द्वारा अपने अपने दावे प्रस्तुत किये थे। तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर समुचित विचारोपरांत यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर स्थायी संरचना का निर्माण पूर्व में ही किया गया है। अतः उक्त वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.1980 को धारा 71"A" के द्वितीय परंतुक के आधार पर भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति निर्धारण किया गया था। विपक्षह के पूर्वजो द्वारा एस.ए.आर.वाद सं.–627/1976 में दिनांक–14.06.1980 को पारित आदेश के विरूद्ध एस.ए.आर.अपील वाद सं.–146/1980–81 दायर किया गया,

28-2-25

कृपया चले

जो खारिज हो गया था। आवेदकगण के पूर्वजो द्वारा अपील में पारित आदेश के विरूद्ध एस.ए.आर.रिविजन वाद सं.-426/1993 दायर किया था, जो दिनांक-20.02.1986 को खारिज हो गया। उक्त अपील एवं रिविजन के खारिज होने के पश्चात् तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा विपक्षी के पिता को क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने हेतु दिनांक-08.08.1986 को आदेश दिया गया, जिसका भुगतान विपक्षी के पिता द्वारा दिनांक-10.07.1989 को एस.ए.आर.वाद सं.-627/1976 के आवेदको को किया गया था। विपक्षी के पिता लखवीर सिंह के द्वारा खतियानी रैयत के वंशजो को एस.ए.आर.वाद सं.-627/1976 में पारित आदेश के आलोक में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। विपक्षी ने अपने कारण पृच्छा में अपने दावे के आलोक में अन्य कागजातों के अलावा एस.ए.आर.वाद सं.-627/1976 में पारित आदेशों की छाया प्रति प्रस्तुत किया है। विपक्षी का कहना है कि चूंकि इस वाद में निहित भूमि से संबंधित पूर्व में भी वर्तमान आवेदकगण के पूर्वजो के द्वारा भूमि वापस का वाद किया जा चुका है, उन्हे क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान भी हो गया है। अतः उसी भूमि के लिए पुनः वाद नहीं लाया जा सकता है। विपक्षी ने सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) की धारा-11 के तहत यह वाद प्रभावित है, एवं बाधित है एवं उपरोक्त वाद खारिज करने योग्य है।

सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) की धारा-11 के अनुसार-"*कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा, जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारो के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसी न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का यह उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचरण करने के लिए सक्षम था और ऐसा न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।*" इस संदर्भ में संपुष्टि हेतु

28-2-23

कृपया उल्टे

माननीय पटना उच्च न्यायालय, राँची बेंच द्वारा सोहन महतो वगैरह बनाम बिहार सरकार वगैरह (1987BLT(Rep)234) एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा सुनील कुमार जयसवाल बनाम झारखण्ड सरकार वगैरह (2020 (1)JBC-52) में पारित निर्णय प्रस्तुत किया है कि यह वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 से प्रभावित है। अतः यह वाद खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर पूर्व में भी छो०का० अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के तहत एस०ए०आर०वाद सं०—627/1976 दायर किया गया था। तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक—14.06.1980 को सुनवाई कर आदेश पारित किया जा चुका है। नियमानुसार संबंधित पक्ष द्वारा इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर किया जाना चाहिए था। पुनः धारा 71"A" के तहत वाद समकक्ष न्यायालय में ही दायर किया गया है, छो०का० अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत दिया गया आवेदन पोषणीय नहीं है एवं आवेदन पूर्व न्याय (Res-Judicata) के अवधारण से प्रभावित है, एवं आवेदकों को आवेदन देने की विधिसम्मत कोई अधिकार नहीं है। अतः इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

28-2-23

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

28-2-23

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 14:30:39 +05:30
Location: 192.168.51.130